

11/11/2021

प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021

"प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021" के अन्तर्गत
 न्यायालय प्रकरणों के निष्पत्ति के निर्देश के अन्तर्गत
 ग्राम पंचायत समिति भूपालसागर की ग्राम पंचायत-पारी
 में दायीं-बायें स्थिति निम्नंक 11/11/2021 में पेश हुई।
 प्राथमिकता में स्थल की ग्राम पारी में स्थित संयुक्त
 खेत की क्ष. सं. 424 रकबा 0.27 है। भूमि के वीजा
 निशानात नहीं होने से पट्टाबंदी की जाणे का निवेदन
 किया। निम्न स्थल पर लक्ष्मी पट्टाबंदी से मौका स्थिति
 की जानकारी लेने पर बताया कि मौके पर भूमि के
 सीमा निशानात नहीं होने से पट्टाबंदी की जाणे उचित
 है। अब प्राथमिकता पर प्रार्थना पर अन्तर्गत धारा
 28 द्वारा किया जाता है तथा तहसीलदार भूपालसागर
 को सूचित किया जाता है कि 500/- रुपये शुल्क
 पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर दायीं-बायें किया
 जावे है कि उपर भूमि पर कोई विवाद नहीं
 है, मौके पर बसल खरी न हो व अन्य किसी
 न्यायालय में कोई काद विचारधीन नहीं हो की
 जांच करने के अर्थों की उम्मीद की सूचित कर
 दोनों पक्षों की मौजूदगी में ग्राम पारी की क्ष. सं.
 21 रकबा 0.27 है पट्टाबंदी भूमि की पट्टाबंदी के
 अपने नेतृत्व में टीम गठित कर पुराना पट्टाबंदी
 की कार्यवाही को इस आशय की तहरीर जारी है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर०ए०एस०)

प्रशासन गोवों के सं.

अभियान-2021

क्रमांक/राजस्व/प्र०गा०सं०अ० 2021/प.(21-2021)

दिनांक :-11.11.2021

निमित्त,

तहसीलदार
भूपालसागर

विषय :- बाबत पत्थरगढ़ी।

1. जमनालाल पिता हजारीमल गुर्जर नि. पारी तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. शंकरलाल पिता हजारीमल गुर्जर नि. पारी तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कालीबाई पत्नी गोपाल प्रजापत नि. पारी तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. चेना पिता लालु प्रजापत नि. पारी तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
3. जमनालाल पिता भैरा प्रजापत नि. पारी तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :- 21/2021

--: प्रार्थना पत्र बाबत कराये जाने पत्थरगढ़ी :-

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 500/- रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम पारी पटवार हल्का पारी तहसील भूपालसागर में स्थित आ०स० 424 रकबा 0.27, है. कुल किता 1 कुल रकबा 0.27 है. की उभय पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो, एवं अन्य किसी न्यायालय मे कोई वाद लम्बित/विचाराधिन नहीं हो, तो पत्थरगढ़ी की जावें एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे।



उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर (राज.)
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर